ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(2): 359-360
www.allresearchjournal.com
Received: 14-12-2019
Accepted: 06-01-2020

सारथी कुमारी
श्री संजीव कुमार झा, विष्णुपुर, बेरि, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
सारथी कुमारी
श्री संजीव कुमार झा, विष्णुपुर, बेरि, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा, बिहार, भारत

कामकाजी महिलाएँ एवं पारिवारिक समायोजन की समस्या : एक अध्ययन

सारथी कुमारी

सारांश
महिलाएँ सदैव हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं का आधार रही है। आज की परिस्थितियों में जीवन के हर क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ रहा हैं सभी महिलाएँ कर्मषील होती है। परन्तु उनके द्वारा किए गए कार्य को मुद्रा में नहीं मापा जाता। यही कारण है कि किसी भी प्रदेष की कुल आरा में महिलाओं की आरा नगण्य है।
इसका दूसरा कारण यह भी कारण है कि अधिकत्तर महिलाएँ असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती है। परिणामस्वरूप उनके द्वारा अर्जित आरा कुल सकल आरा में दिख नहीं पाती। इसलिए यह आवयक है कि महिलाओं के कार्य क्षेत्र को संगठित किया जाए ओर यह सुनिष्चित किया जाए कि उनके द्वारा अर्जित आरा उन्हें ही प्राप्त हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के दायित्व और जीवन संदर्भ भी बदल है। ऐसे ही आज महिला पुरुष के बीच की जिम्मेवारी हम सबकी है और सभी आज मदद कर रहे है।
पंचायत राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तथा पंचायत चुनाव में लगभग 65 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों की जीत से जो पंचायतों का स्वरूप बदला है, उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। महिलाओं के सषक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका क्या है। यह देखना बहुत ही रोचक है। पंचायतों में यह नया एवं बदला हुआ स्वरूप जिला प्रषासन एवं राज्य शासन के लिए भी एक नई चुनौति है। और एक नया अवसर भी। चुनौति इसलिए कि प्रषासन भी यह समझने में पीछे नहीं है कि पुरुषों की अपेक्षा एक महिला अच्छे–अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभाओं का परचम लहरा सकती है।

मुख्य शब्द : कामकाजी महिलाएँ, पारिवारिक समायोजन, महिलाएँ कर्मषील

प्रस्तावनाः
आधुनिक षिक्षा के कारण व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र में महिलाएँ रोजगार प्राप्त कर रही है। साथ ही कुछ महिलाएँ निजी स्तर पर भी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। परन्तु इन महिलाओं को षिक्षा के स्तर पर पर्याप्त प्रषिक्षण प्राप्त है। षिक्षित कामकाजी महिला सरकारी या प्राईवेट रोजगार के जरिए नियमित वेतन आदि प्राप्त करती हैं। स्वरोजगार से जुड़ी कामकाजी महिलाएँ अपने व्यवसाय अथवा उत्पादन से लाभ उठाती है।
अतः जब षिक्षित महिलाएँ किसी रोजगार के जरिए नियमित रूपों में वैधानिक तरीकों से आर्थिक लाभ प्राप्त करती है तो उन्हें कामकाजी महिला के रूप में परिभाषित किया जाता है। कामकाजी महिलाओं का अध्ययन पारिवारिक समायोजन की समस्याओं का विवेचन किया गया है। ईष्वर चन्द्र विद्यासागर ने भारतीय पुर्नजागरण आंदोलन के दौरान भारत में महिलाओं की षिक्षा के लिए अथक परिश्रम एवं संघर्ष किया। राजा राम मोहन राय का भी महिलाओं की षिक्षा के लिए योगदान अविस्मरणीय है। वस्तुतः आधुनिक षिक्षा के विकास के कारण भारतीय परम्पराओं का आधुनिकीकरण हुआ है।
प्रो0 योगेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक 'Modernization of Indian Tradition' में स्पष्ट किया है कि षिक्षा के कारण महिलाओं में भी एक नई चेतना पैदा हुई है। षिक्षा के कारण महिलाएँ आज रोजगार के विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रही है। गौर तलब है कि भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं सूचना क्रांति के दौर में महिलाओं का तीव्र विकास हुआ है। चिकित्सा, अभियंत्रण, सूचना तकनीक, षिक्षा तथा प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों में पूरे दमखम के साथ महिलाएँ कार्यषील है।
प्रो0 एम0 एन0 श्री निवास ने अपनी पुस्तक 'Status of Women' में स्पष्ट किया है कि आर्थिक स्तर पर आत्म निर्भरता के बिना निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता संभव नहीं है। रोजगार के कारण महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति में इजाफा हो रहा है।

फलतः परिवार में तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में भी निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है कि हाल के वर्षों में कार्यषील महिलाओं के एक नए वर्ग का विकास हुआ है। कार्यषील महिलाओं के सन्दर्भ में कई बेचैन करनेवाले सवाल खड़े किये जा सकते है। समाजषास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सवालों का विषेष महत्त्व है।

प्रो. अमर्त्य सेन ने स्पष्ट किया है कि अनुसंधान का आरंभ ही सवालों से होता हैं समाजषास्त्री श्यामचरण दुबे ने भी स्पष्ट किया है कि सवाल पैदा करते रहने से ही नए तथ्यों का खुलासा होता है। अतः कार्यषील महिलाओं के सन्दर्भ में पारिवारिक समायोजन से संबंधित कई ज्वलंत सवालों को खड़े किये गए है। कार्यषील महिलाओं की जिदंगी दो हिस्सों में बँट जाती है। उनके जीवन का एक पक्ष दफ्तर तथा उसके दायित्व से जुड़ा होता है। जबकि उनके जीवन का दूसरा पक्ष उनके परिवार से संबंधित होता है। जाहिर है कि दफ्तर तथा परिवार के दायित्वों के बीच में पारिवारिक समायोजन की समस्या पैदा होती है।

प्रस्तुत शोध के जरिए कार्यषील महिलाओं के सन्दर्भ में भूमिका संघर्ष से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण वालों को खड़े किए गए है। Somya Pandit rFkk Shobha Upadhaya ने अपने एक महत्वपूर्ण शोध निबंध "Role conflict and its effect on middle class working women in India" में कार्यषील महिलाओं के सन्दर्भ में भूमिका संघर्ष के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया है।

एम0 एम0 प्रसाद ने भी अपने एक शोध निबंध "Role conflicat in working women" में स्पष्ट किया है कि भूमिका संघर्ष के कारण कार्यषील महिलाओं के समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद होती है। कई चुनौतियों से उन्हें मुठभेड़ करना होता है। बच्चों के लालन–पालन तथा समाजीकरण की प्रक्रिया से जुड़े दायित्वों को कार्यषील महिलाएँ अनदेखी नहीं कर सकती है। इसी तरह दफ्तर की समस्याओं एवं दायित्वों से संबंधित अपनी भूमिकाओं से भी कार्यषील महिलाएँ विमुख नहीं हो सकती हैं। जाहिर है कि हर पल उन्हें द्वंद्व एवं तनाव को झेलना पड़ता है।

घरेलू हिंसा की घटनाएँ निम्न स्तरीय सामाजिक, आर्थिक वर्गो में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 से महिलाओं का संरक्षण 26 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया। घरेलू हिंसा अपराध में मुख्यतः दहेज के लिए शारीरिक मानसिक यातना, घर में यौन–उत्पीड़न आदि आता है। दहेज प्रथा की षिकार न जाने कितनी मासूम बहुएँ हुई है जो दहेज कम मिलने या विवाह के बाद भी लगातार दहेज माँगे जाने पर और आपूर्ति न होने पर मार दी गई अधिकांष लड़कियों को घरेलू गैस किरासन तेल का प्रयोग कर जलाकर मार दिया जाता। और इसमें सबसे ज्यादा परिवार की महिलाओं का ही योगदान होता। वो नर–संहार में पुरुष सदस्यों का साथ देती है।

इस प्रकार महिलाएँ खुद महिला के प्रति नृषंस अमानवीय अत्याचार में सहभागी बनती है। पुलिस रिकार्डों में महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों का उच्च तर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्योरो ने 1998 में यह जानकारी दी थी कि ''2010 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकास दर जनंख्या वृद्धि दर से कहीं ज्यादा हो जाएगी।'' पहले बलात्कार और छेड़छाड़ के मामला पारिवारिक प्रतिष्ठा की वजह से दर्ज नहीं कराए जाते थे। पर आज सरकारी आँकड़े बताते है कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज किये गए अपराधिक मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पहले दहेज की आपराधिक मामलों से अखबार एवं टी.वी. न्यूज भरे रहते थे। परंतु अब पहले की अपेक्षा इनमें सुधार आया है।

निष्कर्ष :

कामकाजी महिलाएँ एवं पारिवारिक समायोजन की समस्या के दौरान विचारधारा के परिवर्तन से महिलाओं के कदम घर की चहारदीवारी से निकलकर दहलीज के बाहर की दुनियाँ को देखने का अक्सर प्राप्त हुआ। महिलाओं के कदम दहलीज के बाहर जाना तात्कालीक समाज के विचारधारा के अनुरूप न था किन्तु बीते समय के साथ यह पहल समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरूप लिए राष्ट्र की विकार धारा में सम्मिलित हो गई।

राष्ट्र के विकास की अग्रणी दूत बनी महिलाओं द्वारा देष ही नहीं वरन विदेष में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया। प्रतिकुल परिस्थितयों में भी महिलाओं द्वारा निभायी गयी। सराहनीय भूमिका का श्रेय उनके दृढ़ संकल्प, कर्तव्य, पराण्यता तथा सहनषीलता को ही जाता है किन्तु यह विडम्बना ही है कि आजादी के इतने वर्षों पष्चात् भी समाज के लगभग सभी वर्गों तथा क्षेत्रों में महिलाओं का विकास समान रूप से नहीं हो पाया है। जिसके लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास जारी हैं।

संन्दर्भ :

1. एम0 एन0, श्री निवास, 1997, स्टेटस ऑफ वुमेन, ओरिएन्ट लॉग्मैन, नई दिल्ली, पृ0. 252
2. एस0 सी0, दूबे, 1990, इंडियन सोसाइटी, नेषनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ0 141
3. योगेन्द्र सिंह 1973, मोर्डनाइजेषन ऑफ इंडियन ट्रेडिषनः ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोषल चेंज, थॉमसन प्रेस, पब्लिकेषन डिविजन, नई दिल्ली, पृ.–201
4. विष्वनाथ झा, 2004, समाजषास्त्र विवेचन, नई दिल्ली, पृष्ठ–147
5. योगेन्द्र सिंह, 1973, मोर्डनाइजेषन ऑफ इंडियन ट्रेडिषनः ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोषल चेंज, थॉमसन प्रेस, पब्लिकेषन डिविजन, नई दिल्ली, पृ.–201
6. एम0 एन0, श्री निवास, 1997, स्टेटस ऑफ वुमेन, ओरिएन्ट लॉग्मैन, नई दिल्ली, पृ0.–252